International Journal of Education and Science Research Review
Volume-11, Issue-4 July-August-2024 E-ISSN 2348-6457
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Impact Factor - 7.02 Email- editor@ijesrr.org

हिन्दू कोड बिल के इतिहास का एक अध्ययन

डॉ0 हरीश कुमार, इतिहास विषय
बिद्यासंबल योजना,राजकीय महाविद्यालय उच्चैन, (भरतपुर)

साराश, आज यदि एक स्त्री पुरूषों के साथ स्कूल कालेज या महाविद्यालय में पड पा रही है। तो इसके पीछे मात्र हिन्दू कोड बिल ही है। सिके इतिहास और इसके महत्व का उल्लेख मैने इस शोध पत्र में किया है। हिन्दू कोड को केन्द्रीय असैम्बली में पेश करने के लिए कुछ हिन्दुओं की छाती पर विषैला सर्प लोटने लगा। भारत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक इस कानून के विरोध में बड़ा हंगामा, शोर और आन्दोलन आरम्भ हो गया। मारवाड़ी सेठों को अपनी सम्पत्ति में लड़की को भी हिस्सा देना पड़ेगा, यह जानकर वह चीख उठे। सनातन धर्मी लोग, जिनके नेता स्वामी करपात्री माध्वाचार्य, देवनाकाचार्य निरंजनदेव तीर्थ जो बाद में पुरी के शंकराचार्य बने। ब्राह्मण वर्ण मारवाड़ी सेठों के धनबल पर सारे हिन्दू जगत में विरोध की आग भड़काने में तत्पर हो गए और सारे बाजार प्रचार करने लगे कि हमारे हिन्दू धर्म को एक अछूत मंत्री कर रहा है। ऋषि मुनियों के बनाए धर्म ग्रंथों के विधिविधानों का सत्यानाश कर रहा है। बड़ेबड़े लम्बेचौड़े जुलूस, विज्ञापन और गोलियों में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल सरकार की तथा बाबा साहब को खूब गालियाँ दी जा रही थीं। भाड़े के टट्टू प्रतिदिन संसद के सामने हिन्दू कोड बिल मुर्दाबाद के नारे लगाते थे। एक बार एक जुलूस तो उत्तेजित होकर बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की कोठी हार्डिंग एवेन्यू में घुस गया था, जिसे सुरक्षा पुलिस ने बड़े साहस से कोठी के बाहर धकेला था। इतना ही नहीं, बाबा साहब को प्रायः धमकी भरे पत्र प्राप्त होते रहते थे कि हमारे हिन्दू धर्म में एक अछूत मंत्री को हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर उस मंत्री ने अपना इरादा बदल कर हिन्दू कोड बिल पास कराने का हठ न छोड़ा, तो उसका परिणाम मंत्री महोदय के प्राण लेने तक भी हो सकता है।

मुख्य शब्द, हिन्दूकोड बिल, जवाहरलाल नेहरू,साधू सन्त, भारतीय कानून आदि।

प्रस्तावना, बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी निर्भीक रहे और उनका इरादा अटल ही रहा था। वह इन विभीषिकाओं से डरने वाले नहीं थे। उनके गत जीवन में कई आन्दोलनों में उन्हें जान से मार डालने की धमकियों मिल चुकी थीं। जवाहरलाल नेहरू भी इस मामले में उनके साथी बने रहे और जब जब अवसर मिला केन्द्रीय असेम्बली में हिन्दू कोड पर विचार करने के लिए एजेन्डे पर एक या दो दिन का समय मिलता रहा, किन्तु इसका विरोध करने वाले विधायक जिनमें पं. ठाकुरदास, मैत्रेय वामण और एक मुसलमान सज्जन भी किराए पर लिए गये थे।[1] असैम्बली के स्पीकर अनन्तशयनम् आयेंगर यद्यपि कांग्रेसी थे, किन्तु कट्टर सनातनधर्मी वैष्णव,ब्राह्मण थे। जब जब हिन्दू कोड बिल पर विचार करने का अवसर मिला, वह सारा समय हिन्दू कोड बिल के विरोधियों को दे दिया करते थे और बिल की धाराओं को पास होने के लिए आगे नहीं बढ़ने देते थे। एक मुसलमान विधायक जिनका नाम सम्भवतः अजीजुद्दीन अहमदथा और जो

कलकत्ता से चुनकर आये थे, वह बड़ी तोप के रूप मे सनातनी कट्टर हिन्दू विधायकों का संरक्षण कर रहे थे जो समय इस बिल पर विचार करने के लिए मिलता, कई बार तो वह सारा का सारा समय स्वय ले जातेथे।[2]

प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और हिन्दू कोड बिल कांग्रेसी कट्टरपंथी भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल के तथा संविधान के डर के मारे स्वयं तो हिन्दू कोड बिल का विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह उनकी सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया था, किन्तु इसके पारित होने के मार्ग में रुकावटें डालने में उनकी ओर से कोई भी कमी नहीं बरती गई थी। कुछ सदस्यों ने जब अजीजुद्दीन अहमद से पूछा कि तुम तो मुसलमान हो तुम्हें हिन्दू कोड बिल पास हो जाने पर क्या आपत्ति हैं ? तुम सदन का सारा समय बर्बाद कर जाते हो और जो समय इस बिल पर विचार करने के लिए मिलता है, उस पर कोई दूसरा विधायक बोलने के लिए समय मांगता, तो उसको समय न देकर स्पीकर अनन्तशयनम कहता है कि भले अहमद साहब मुसलमान है, किन्तु बतौर विधायक उन्हें संसद में किसी भी बिल पर बोलने का पूरा अधिकार है। दूसरी तरफ अजीजुद्दीन अहमद का तर्क था कि मैं हिन्दू कोड बिल का विरोध इसलिए करता हूँ कि आज सरकार हिन्दुओं के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, यदि इसे रोका न गया तो कल हम मुसलमानों के पर्सनल लॉ में भी हस्तक्षेप करके उसमें भी संशोधन करने लगेगी। अगर इस आग को यह न बुझाया गया, तो हिन्दू मकान जलने के बाद इस मकान के साथ संलग्न हमारा फूंस का झोपड़ा भी जल जाएगा। दरअसल अहमद कट्टरपन्थी काँग्रेसी हिन्दुओं की शह पर और स्पीकर की ढील दिए जाने पर ही ऐसा कर पा रहा था।[3] करपात्री और उनके भक्तों ने जब देखा कि इस प्रकार उनकी दाल नहीं गलती, तो उन्होंने ऐसा झूठा प्रचार करना शुरू कर दिया कि हिन्दू कोड दिल में सगे बहन भाई का परस्पर विवाह करने का प्रावधान है। इसीलिए इस बिल को अंग्रेजी भाषा में ही छपवाया गया है। हिन्दी तथा उर्दू भाषा में इसका अनुवाद जनता की जानकारी के लिए नहीं छापा गया। इसी पाप को छुपाने के लिए इस बिल को हिन्दी भाषा में प्रकाशित नहीं कराया गया। भोली भाली जनता को धोखा देने के लिए करपात्री स्वामी आदि का यह प्रपंच कारगर न हो जाए, यह जानकर बाबा साहब ने मुझे दफ्तर में बुलाकर कहा कि क्या तुम हिन्दू कोड बिल को दस पन्द्रह दिनों में उर्दू हिन्दी में अनुवादित कर सकते हो? सोहनलाल शास्त्री जी ने उत्तर दिया कि विधि मंत्रालय में अभी तक मैं अकेला ही अनुवादक हूँ और नब्बे अंग्रेजी पृष्ठों का यह बिल जिसमें सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों की इस बिल के पक्ष विपक्ष में अपनी सम्मतियाँ भी शामिल थीं, उनका अनुवाद भी करता था।[4] सोहनलाल शास्त्री ने इसे पन्द्रह दिनों के भीतर उर्दू–हिन्दी दोनों सरल भाषाओं में अनुवादित कर दिया। सोहनलाल शास्त्री जी ने इतने बड़े काम को थोड़े समय में ही पूरा करने के लिए प्रतिदिन बारह बारह घन्टे काम करना पड़ता था। कानून का अक्षरशः अनुवाद करना बहुत कठिन काम था, किन्तु सोहनलाल शास्त्री को तो भरती ही इसी काम के लिए किया गया था। सोहनलाल शास्त्री सारा काम दस दिनों में ही करके बिल के अनुवाद की पाण्डुलिपि मसौदा, बाबा साहब के सामने रख दिया।[5] एक दिन बाबा साहब डॉ0 भीमराव ने सांयकाल सोहनलाल शास्त्री से पूछ लिया कि इतने घन्टे लगातार काम करने पर मेरी आँखें लाल क्यों हैं?'' मैंने उत्तर दिया हिन्दू कोड बिल के अनुवाद में अधिक समय तक दृष्टि जमाये रखने के कारण मेरी आँखों में रक्त उतर आता है। बाबा साहेब बोले मैं तुम्हें कुछ अन्य अनुवादक दिलवा दूंगा। बिल के हिन्दीउर्दू हिन्दुस्तानी अनुवाद की छपवाई भी मेरे प्रयत्नों से पब्लिकेशन शाखा, भारत सरकार में दस दिनों की अवधी में पूरी हो गई। उस अनुवाद की दस हजार प्रतियाँ प्रकाशित की गई थी और हिन्दुओं की सब संस्थाओं में मुफ्त बाँटी गई थी। स्वामी करपात्री जो तब यमुना नदी के किनारे

दिल्ली में निगम बोध घाट पर रहते थे, उन्हें भी इस अनुवाद की काफी प्रतियाँ भेज दी गई थीं। हिन्दी समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित करवाया गया, और वीर अर्जुन हिन्दी समाचार पत्र जिसके मालिक स्वामी श्रद्धानन्द के सुपुत्र इन्दु वाचस्पति जी थे और उस पत्र के सम्पादक थे मा. रामगोपाल विद्यालंकार।[6] मैं इस अनुवाद को प्रकाशित कराने के लिए उनके पास स्वयं गया। बाबा साहब ने मुझे कहा कि कोई ऐसा आर्य समाजी संस्कृत का विद्वान ढूँढो, जो इस बिल के प्रावधानों को हिन्दू धर्मशास्त्रों के अनुकूल सिद्ध कर सके। मैंने कहा कि आर्य समाजी भी हिन्दू कोड बिल के पक्षपातीनहीं है। किन्तु कट्टरपंथी हिन्दुओं से आर्य समाजियों का विरोध कुछ कमती है। बाबा साहब ने सोहनलाल शास्त्री से कहा कि ऐसे पण्डितों को हम उनकी शास्त्रीय खोज के लिए पैसा (महनताना) देंगे। पैसे से उन पण्डितों की की सेवाएँ प्राप्त करना सहज और सरल है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि शिवाजी महाराज को शूद्र मानकर ब्राह्मण उनका राजतिलक करने को बिलकुल तैयार न थे, किन्तु बनारस के एक पण्डित घोघा भट्ट ने एक लाख रुपया दक्षिणा के रूप में लेकर शिवाजी को क्षत्रिय घोषित करके उनके पुरखों को सूर्यवंशी क्षत्रियों की कड़ी में जोड़कर उनका राजतिलक या राज्याभिषेक कर दिया था। तुम भी ऐसा घोघा भट्ट ढूंढों। हम उसे उसके परिश्रम के लिए धन देंगे। मैंने यह बात रामगोपाल विद्यालंकार जी से कही जो गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक थे और संस्कृत के विद्वान भी थे। उन्होंने कहा कि मैं संस्कृत और हिन्दू शास्त्रों के उदभट विद्वान पण्डित धर्मदेव विद्यालंकर से मिलूँ। वह हिन्दू धर्म शास्त्रों के बहुत गंभीर स्कालर (विद्वान) हैं।[7] वह यह काम अपने हाथ में ले लेंगे, तो मैं उनकी गवेषणा या खोज को वीर अर्जुन समाचार पत्र में प्रकाशित करता रहूँगा। पं. धर्मदेव विद्यावाचस्पति, विद्या मार्तण्ड हैं। उन्होंने हिन्दू स्मृतियों से नपुंसक पति से तलाक, एकमात्र सन्तान कन्या को पिता की सम्पत्ति का मालिक होना सिद्ध करने वाले श्लोक खोज डाले और वीर अर्जुन पत्रिका में प्रकाशित भी कराए। विधवा विवाह के लिए तो आर्यसमाजी पहले ही सहमत थे। जब हिन्दू कोड बिल की पुष्टि में यह लेखमाला प्रकाशित हो गई, तो उसके सारे अंक और उसकी सामाग्री को बाबा साहब ने स्वयं पढ़ा और पं. धर्मदेव को इस परिश्रम के लिए पाँच हजार रुपये दिलवाए। इसी प्रकार अखिल भारतीय महिला काँग्रेस को इस बिल के प्रचार के लिए धन दिया गया था।[8] हिन्दू कोड बिल की हिमायत में सोहनलाल शास्त्री जी ने स्वयं कई महिला गोष्ठियों में व्याख्यान दिए। आर्य समाजियों के एक जलसे में इस बिल की हिमायत में व्याख्यान दिया। जबकि एक आर्यसमाजी महिला ने जिसका पिता प्रसिद्ध आर्य समाजी विद्वान माना जाता था,सोहनलाल शास्त्री का खूब विरोध अथवाखण्डन किया, जो बिलकुल युक्तिसंगत नहीं था। सोहनलाल शास्त्री जी ने अन्त में कहा कि कोई समय था जब आर्यसमाज को हिन्दू समाज में सामाजिक क्रान्ति लाने वाला अग्रदूत माना जाता था किन्तु आज वही समाज करपात्री जैसे रूढ़िवादी तथा कट्टरपंथी पौराणिकों की बोली बोल रहा है।[9] सोहनलाल शास्त्री ने कहा कि हिन्दू कोड बिल अवश्य ही पास होकर रहेगा। हिन्दू कोड बिल जबरदस्ती किसी भी विवाहित को तलाक देने के लिए मजबूर नहीं करता किन्तु यदि पत्नी पर अत्याचार हो रहा हो, या उसका पति दूसरी पत्नी उसके मुकाबले में ला रहा हो, तो उसे ऐसे पति से छुटकारा पाने के लिए तलाक या विवाह विच्छेद का कोई कानूनी बन्धन होना निहायत जरूरी है।कानून तो कैमिस्ट की दुकान की तरह होता है। किसी जगह कैमिस्ट की दुकान इसलिए खोली जाती है कि रोगी वहाँ जाकर अपने रोग की औषधि या दवाई ले सकें। यदि किसी को बीमारी ही नहीं है, तो उसे कैमिस्ट की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार यदि पति पत्नी में नहीं बनती और दोनों का जीवन जीना दुखी हो रहा है. तो क्यों न उसे इस विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए कोई

कानूनी उपाय होना चाहिए। यदि पति पत्नी का परस्पर प्रेम है और उनकी आपस में खटपट नहीं होती तो कोई भी कानून उन्हें तलाक या विवाह विच्छेद कराने के लिए मजबूर नहीं करता या उकसाता।

निष्कर्ष आज जब कोई हिन्दू पति अपनी पहली पत्नी को त्याग कर दूसरा, तीसरा या चौथा विवाह कर लेता है, तब ऐसी पहली पत्नी को अपने मातापिता अपने सगे भाईभतीजों के घर पर आश्रय लेना पड़ता है। वह बेचारी इस वर्तमान स्थिति में अपने ऐसे पति से तलाक नहीं ले सकती. दूसरा विवाह नहीं कर सकती। जब अदालत में ऐसे पति से अपने भरण पोषण या गुजारे के लिए खर्चा मांगने के लिए दावा करती है, तो ऐसा अधिकार पति अदालत में अपनी गरीबी सिद्ध करके उसे दीनहीन और दुखी पत्नी को केवल चार पाँच रुपये महीना खर्चा देना मंजूर कर लेता है। स्वयं तो दूसरी पत्नी से विवाह रचा लेता है और पहली पत्नी को चार पाँच रुपया महीना देकर सारी उम्र उसके मातापिता के दरवाजे पर अपने भाग्य को कोसने के लिए छोड़ देता है।यदि पति विधर्मी बनकर किसी ईसाई अथवा मुसलमान स्त्री से विवाह कर लेता है, तो ऐसी हालत में भी उसकी पहली विवाहित पत्नी हिन्दू रहते हुए भी कानूनी तौर पर उसी विधर्मी की ही पत्नी रहती है और उसे तलाक का अधिकार प्राप्त नहीं है।किसी पति को कोढ़ अथवा कोई और ऐसी ही असाध्य बीमारी है, जो उसे इस पत्नी से नहीं लगी, बल्कि उसने यह असाध्य रोग अपने कुकृत्यों से सहेड़ा है, तो भी उसकी पत्नी अपने भाग्य को रोती रहे और उससे सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर सकती। यदि पति नपुंसक है और पत्नी से सम्भोग तथा सन्तान पैदा करने के लिए बिलकुल अयोग्य है, तो भी नाह धोखा कर विवाही गई पत्नी उससे सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर सकती। इसी प्रकार यदि पति पत्नी को छोड़कर सन्यासी बन गया है अथवा कई वर्षों से उसका कुछ पता नहीं चलता है, तो भी वर्तमान स्थिति में पत्नी दूसरी शादी नहीं कर सकती और उसी भगोड़े या सन्यासी साधु की पत्नी बनकर रह जाती है। यदि पति अपनी पत्नी को बिना किसी दोष के बुरी तरह मारता पीटता है अथवा मानसिक पीड़ा पहुँचाता है तथा व्यभिचार करता है, तो भी उसकी साध्वी पत्नी सारी आयु के लिए उससे सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर सकती, क्योंकि वर्तमान हिन्दू रूढ़ि रिवाज या धर्मशास्त्र उसे उस पति से पृथक करने का अधिकार नहीं देते।क्या ऐसी भयानक परिस्थितियों में कोई ऐसा कानून बनाना उचित नहीं है, जो ऐसी दुखित और पीड़ित पत्नी अथवा पति दोनों को विवाह विच्छेद का समान अधिकार देता है। इन दोनों में जो पक्ष अपने जीवन साथी से सताया जा रहा हो, वह इन्साफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और उपरोक्त सबूत प्रमाणित करके पहले दो वर्षों के लिए अदालती पृथकता और तत्पश्चात् तलाक प्राप्त करके यदि चाहे तो दूसरा विवाह कर सकता या कर सकती है। बताइ इनमें कौनसा अधर्म का काम है? इस हिन्दू कोड में कौनसा अपराध है? यह तो केवल विवाह पक्ष की बात है। जायदाद में उत्तराधिकार, गोद लेना भरणपोषण, गुजारा, आदि पर भी इस कोड में युक्तियुक्त प्रावधान बनाए गए हैं, जो हिन्दू समाज की बेहतरी के लिए है।इस हिन्दू कानून के बन जाने पर हिन्दुओं को भी एक सांझा, समान पर्सनल लॉ मिल जाएगा, जो हिन्दुओं को संसार के अन्य सभ्य समाजों या जातियों की श्रेणी में खड़ा कर देगा और प्रत्येक हिन्दू व्यक्तिगत तथा समष्टिगत रूप में समानता और सामाजिक एकता के सूत्र में बंध जाएगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- डॉ0 देवी प्रसाद सिंह, 'हिन्दू समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया', गोरखपुर 1984, पृ0 120

- पूर्वोक्त, पृ0 134
- सुवीरा जायसवाल, जाति वर्ण व्यवस्था, उद्भव, प्रकार्य और रूपांतरण, नई दिल्ली, 2004, पृ0 27
- पूर्वोक्त, पृ0 79–96
- विस्तृत विवरण हेतु देखिए, ओम प्रकाश, प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, नयी दिल्ली, पंचम संस्करण, 2004, पृ0 105, 179–191
- डॉ0 देवी प्रसाद सिंह, 'हिन्दू समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया', गोरखपुर 1984, पृ0 156
- पूर्वोक्त, पृ0 124–125
- आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, आगरा 1995, पृ0 22
- कन्हैया लाल चंचरीक, महात्मा ज्योतिबा फूले, प्रकाशन विभाग, नयी दिल्ली, द्वितीय संस्करण 2000, पृ0 5, 7, 10,